

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्व लोक अदालत मुकाम रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)
उनवान

सो - 52/17

- 1 लक्ष्मीलाल पिता बालुराम सामरिया निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा हाल मुकाम ओटा-9.
सरस्वतीचन्द्र सोसाईटी (अहमदाबाद) _____ (प्रार्थीगण)

बनाम

1. शंकर पिता गंगाराम रेगर निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. राधेश्याम पिता मांगु दरोगा निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. गोपाल पिता मोहन सुथार निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. गणेश पिता कुका दरोगा निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. राजेन्द्र सिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. राजसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. नाराणसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
8. गोविन्दसिंह पिता सांवतसिंह राजपूत निवासी रूपाहेलीखुर्द, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा _____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

दिनांक - 16.05.2017

:: निर्णय ::

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रूपाहेलीखुर्द पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 330 के आ0न0 265, 267, 268 कुल किता 03 कुल रकबा 08-00 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प रूपाहेलीखुर्द में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को सूचनापत्र जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 व 9 को छोड़कर शेष नियत केम्प पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूपाहेलीखुर्द पटवार मण्डल रूपाहेलीखुर्द भू0अ0नि0 बेंरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 330 के आ0न0 265, 267, 268 कुल किता 03 कुल रकबा 08-00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान को जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बेंरा को 800/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी कि जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खच फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 15.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम रूपाहेलीखुर्द में खु न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
दिनांक: 16.05.2017